कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 1696 /1सी0 (वन)

दिनांक 08/ 09 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी (राज्य मार्ग सं0– 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.860 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/31469/2018)**

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0– 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 117 / 2018 / एफ0सी0 / 1422 दिनांक 30.09.2020**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी (राज्य मार्ग सं0 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 26 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि सौपे जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
	प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1720 पौधों को रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.72 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	1720 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) रू0 5,79,956.00 की धनराशि ऑनलाइन चॉलान के माध्यम से दिनांक 17.3.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **संलग्न 1– चालान की मूल प्रति।**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त [illegible]	वन भूमि प्रस्ताव 1.00 है0 से कम होने के कारण प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नही है।

O/C

5 (क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य इस संबंध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.86 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्ताव के तहत 0.86 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 5,65,020.00 ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 17.3.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **संलग्न 2– चालन की छायाप्रति।**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। **संलग्न 3– एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 64 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	खण्ड द्वारा पेड़ो की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 64 वृक्ष का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जाएगी।
7	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission aftwer the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। **संलग्न 4– ई–पोर्टल पर जमा की गयी राशि की छायाप्रति।**
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	खण्ड द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढाएगा।	खण्ड द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढ़ाये जायेगी।

11	संरक्षित क्षेत्रों / वनक्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियक साइनेज लगाए जाएगें।	खण्ड द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वनक्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियक साइनेज लगाए जायेगें।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफ0सी0 / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15	वनभूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत: वैकल्पिक ईधन विभाग द्वारा दिया जायेगा।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	खण्ड द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोगा परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तातंरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42 / 2017 एफ0सी0 दिनांक 29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।

23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगीं।	शर्त मान्य है।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण खण्ड द्वारा मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं अन्य किसी भी स्थल पर मलवा नहीं फेंका जायेगा।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।

संलग्न– अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

भवदीय

(इं0 दिनेश कुमार बिजल्वाण)
अधिशासी अभियन्ता
08/9/21

तद्दिनांकित

पत्रांक 1696 /1 सी0 वन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
4– जिलाधिकारी चमोली ।
5– अधीक्षण अभियन्ता 07वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
6– सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
08/9/21

संलग्न 1 व 2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-03-2021

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	6131469239
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/117/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	1144976/-

Amount in Words :Eleven Lakh Forty-Four Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896131469239 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

सहायक अभियन्ता

08/09/21

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल भूमि 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बडोतरी की जाती हैं तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौचर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गौचर)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

3	FP/UK/ROAD/48583/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/48583/2020) Gauchar Sidoli to Panai M/R	ROAD485832020777	6148583777	31 Dec 2020	**CA:** 175336/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 170820/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 346156/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 26 Mar 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 09 Apr 2021 **Transaction Date** : 09 Apr 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112612181220XC9Y4panai(1).pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD485832020777)
4	FP/UK/ROAD/31469/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/31469/2018) In district Chamoli , Karanprayag construction of new motor road "Karanprayag-Nauti-Paithani to Gairoli"	ROAD314692018239	6131469239	30 Sep 2020	**CA:** 579956/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 565020/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1144976/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 10 Mar 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 12 Mar 2021 **Transaction Date** : 17 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311112391217E0Q7Bgairolimotorroad.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD314692018239)
5	FP/UK/ROAD/42515/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42515/2019) Karnaprayag Nauti Paithani M/R to Koli Bhatoli M/R	ROAD425152019237	6142515237	07 Oct 2020	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 133100/- , **Road side/gap filling plantation :** 394200/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 527300/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 10 Mar 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 12 Mar 2021 **Transaction Date** : 17 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311112381217LN49Bkolibhatolimotorroad.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425152019237)

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No-Memo/2019 Dated-----08.02.2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.860** hectares of forest land propose d to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of " **Karanparyag –Nauti-Paithani motor road to Gairoli Motor road**" in Chamoli district falls within jurisdiction **Kanoth & Gairoli**, in Karanpryag tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.860 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Kanoth ' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 08.2.19 at time 11 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.120 hect for the construction of " **Karanpryag –Nauti-Paithani Motor road to Gairoli Motor road**" and forest land 0.860 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 08.02.2019

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
जिला अधिकारी
चमोली

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

जिला पंचायत अधिकारी
चमोली

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी– कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति– कर्णप्रयाग

उपखण्ड **कर्णप्रयाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0, अर्थात कुल 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, दिनांक 01-12-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक के.एन. गोस्वामी उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री के.एन.गोस्वामी उपजिलाधिकारी – कर्णप्रयाग ---------- अध्यक्ष

2– श्री ---- उप प्रभागीय वनाधिकारी– केदारनाथ ---------- सदस्य

3– श्री चन्द्रदत्त ---- सहायक समाज कल्याण अधिकारी– कर्णप्रयाग ---------- सदस्य

4– श्री ---- वि0ख0 वनाधिकार ---------- सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण** हेतु **0.860 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर,** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। **ग्राम कनोठ एवं गैरोली** के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ --द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण** हेतु **0.860 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद –चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्ण्प्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल भूमि 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– कनोठ
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में लो०नि०वि० द्वारा दिनांक 9/9/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **कनोठ एवं गैरोली** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/अक्षर
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत कनोठ
हस्ताक्षर
दिनांक
वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत
वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रपत्र – 2301

आज दिनांक 9-9-2015 को हमारे ग्राम कनाई की खुली बैठक आहूत की गयी । जिसमें गॉव के सभी वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, पुरुष व नौजवान उपस्थित थे । जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, गौचर द्वारा गैरोली ग्राम हेतु जो एप्रोच सड़क स्वीकृत है, उसमें हमारें गॉव की जो भी नाप भूमि एवं अन्य भूमि सड़क निर्माण में आयेगी उसे हम विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा देनें पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं और विभाग को हर सम्भव सहयोग प्रदान करनें को तैयार हैं ।

क०सं०	गॉव के वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं/पुरुषों एवं नौजवानों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रविन्द्रसिंह S/o स्व० श्री बचनसिंह	
2	" अवतारसिंह —do— " प्रतापसिंह	
3	" लक्ष्मणसिंह —do— " बलवन्तसिंह	
4	" सुरेन्द्रसिंह —do— " मोहनसिंह	
5	" गबरसिंह —do— " ईश्वरसिंह	
6	नरेन्द्र सिंह —do— प्रेम सिंह	
7	भरत सिंह —do— कल्याण सिंह	
8	काशी सिंह —do— चन्द्र सिंह	
9	विनोद सिंह काशी सिंह	
10	सरिता देवी W/o भुवन सिंह	सरिता देवी
11	माला देवी —do— सुदर्शन सिंह	माला देवी
12	गुड्डी देवी —do— दिनेश सिंह	गुड्डी देवी
13	उषा देवी —do— विक्रम सिंह	उषा देवी
14	मालमती देवी —do— राजेन्द्र सिंह	मालमती देवी
15	गिरीश सिंह S/o पुष्कर सिंह	
16	बहादुर सिंह नेगी S/o स्व० श्री गणेश सिंह	
17	दिगम्बर सिंह S/o स्व० श्री श्याम सिंह	
18	सुभाष सिंह " " "	

दिनांक – 9/9/2015

हस्ताक्षर मुहर सहित ग्राम प्रधान

(ल० प०उ०)

हस्ताक्षर

(19) सुशीला देवी w/o प्रमोद सिंह - सुशीला देवी
(20) कर्ण सिंह S/o स्व० जगत सिंह - कर्ण सिंह नेगी
(21) हरेन्द्र सिंह S/o " जीत सिंह - [illegible]
(22) नरेन्द्र सिंह S/o " रणजीत सिंह - [illegible]
(23) शाकम्भरी देवी w/o हरेन्द्र सिंह - शाकम्भरी देवी
(24) महेश्री देवी w/o स्व० रघुनाथ सिंह - महेश्री देवी
(25) गुड्डी देवी w/o भगत सिंह - गुड्डी देवी
(26) कमला देवी w/o लक्ष्मण सिंह - कमला देवी
(27) प्रधान सिंह S/o सुरेन्द्र सिंह
(28) गुरमा देवी w/o अवतार सिंह - गुरमा
(29) कमला देवी w/o नरेन्द्र सिंह - कमला देवी
(30) मीना देवी w/o महिपाल सिंह - MEENA
(31) चकोरी देवी w/o बाबा सिंह - चकोरी
(32) माती देवी w/o विजय सिंह - माती
(33) अरुणा देवी W/o गिरिश C/o - अरुणा देवी
(34) [illegible] S/o श्री राजेन्द्र सिंह - [illegible]
(35) श्रीमती भारती देवी w/o श्री कुन्दन सिंह - भारती
(36) श्री कर्ण सिंह नेगी S/o स्व० श्री जगत सिंह - कर्ण सिंह नेगी

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रपत्र – 2301

आज दिनांक 9/9/15 2015 को हमारे ग्राम गैरोली की खुली बैठक आहूत की गयी । जिसमें गॉव के सभी वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, पुरुष व नौजवान उपस्थित थे । जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, गौचर द्वारा गैरोली ग्राम हेतु जो एप्रोच सड़क स्वीकृत है, उसमें हमारें गॉव की जो भी नाप भूमि एवं अन्य भूमि सड़क निर्माण में आयेगी उसे हम विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा देनें पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं और विभाग को हर सम्भव सहयोग प्रदान करनें को तैयार हैं ।

क0सं0	गॉव के वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं/पुरुषों एवं नौजवानों के नाम	हस्ताक्षर
1	कल्येश्वर प्रसाद	Gairola
2	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
3	[illegible]	[illegible]
4	दिवान देवी	[illegible]
5	लज्जावती देवी	लज्जावती देवी
6	T. R. Gairola	[illegible]
7	रमेश्वर प्रसाद	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible] देवी	[illegible]
10	[illegible] गैरोला	[illegible]
11	[illegible] गैरोला	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	कान्ती प्रसाद गैरोला	[illegible]
14	कमलेश्वर प्रसाद	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	राधाकृष्ण गैरोला	[illegible]
17	राजेश्वर प्रसाद गैरोला	[illegible]
18	सत्यराम गैरोला	[illegible]

(19) [illegible] गैरोला
(20) लक्ष्मी प्रसाद गैरोला
(21) [illegible] चन्द्र गैरोला
(22) उर्वी दत्त गैरोला
(23) [illegible] गैरोला

दिनांक

हस्ताक्षर मुहर सहित ग्राम प्रधान

[illegible] शोभनी देवी

(26) सतीश कुमार

(27) जगदीश गैरोला

(28) कुशलानन्द गैरोला

(29) जयन्ती प्रसाद गैरोला

(30) राजेश गैरोला

(31) गिरीश गैरोला

(32) सतीश गैरोला

(33) श्री मदनमोहन गैरोला

(34) भोला प्रसाद गैरोला